Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **आरोपी महावीर सिंह हेड कांस्टेबल पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर जिला श्रीगंगानगर व रघुवीर नायक के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में प्रथम सूचना रिपोर्ट 228/ 26 दर्ज।**

जयपुर, दिनांक 11 अगस्त, 2026। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी हनुमानगढ़ इकाई द्वारा आरोपी **महावीर सिंह हेड कांस्टेबल पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर जिला श्रीगंगानगर व रघुवीर नायक** के विरुद्ध रिश्वत मांगने के आरोप पर मुकदमा दर्ज किया है

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कि एसीबी चौकी हनुमानगढ़ को एक शिकायत इस आशय की मिली कि आरोपी महावीर सिंह हेड कांस्टेबल पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर व रघुवीर नायक (प्राइवेट व्यक्ति)द्वारा परिवादी के भाई के विरुद्ध मामला रफा–दफा करने व पोक्सो एक्ट नहीं लगाने की एवज में **90,000/– रूपये** की रिश्वत की मांग की जा रही है।

जिस पर एसीबी के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री नारायण टोगस** के सुपरविजन में हनुमानगढ़ एसीबी की **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती सुधा पालावत** के नेतृत्व में शिकायत का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो आरोपी गण द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग के तथ्य पाए गए।

एसीबी द्वारा आरोपीगण महावीर सिंह हेड कांस्टेबल व रघुवीर नायक के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण संख्या 228/26 दर्ज कर प्रकरण का अग्रीम अनुसंधान जारी है।